



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2016/ज्येष्ठ 12, 1938

No. 1353]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2016/ JYAISTHA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2016

आय-कर

**का.आ. 1948 (अ)**—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 709(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"36	2016-17	1125"

[अधिसूचना सं. 42 /2016 : फा. सं. 142/5/2016-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 709(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ. सं. 2031(अ) तारीख 24.7. 2015 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2016

**INCOME-TAX**

**S.O.1948(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 709(E), dated the 20<sup>th</sup> August, 1998, namely:-

2. In the said notification, in the Table, after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
“36	2016-17	1125”.

[Notification No. 42 /2016/F.No.142/5/2016-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O.709(E), dated the 20th August, 1998 and last amended *vide* number S.O.2031(E), dated the 24th July,2015.